

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 326]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 24, 2015/आश्विन 2, 1937

No. 326]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 24, 2015/ASVINA 2, 1937

भारतीय रिज़र्व बैंक

अधिसूचना

मुम्बई, 3 सितम्बर, 2015

बैंवि.पीएसबीडी.सं. 3427/16.01.0145/2015-16.—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खंड (क) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को शामिल करने निदेश देता है:

बंधन बैंक लिमिटेड

डी.एन.-32, सेक्टर V,

साल्ट लेक सिटी,

कोलकाता - 700 091

पश्चिम बंगाल

एन. एस. विश्वनाथन, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./39/15 (214)]

RESERVE BANK OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd September, 2015

DBR.PSBD.No. 3427/16.01.0145/2015-16.—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of Section 42 of Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely:

Bandhan Bank Limited

DN-32, Sector V,

Salt Lake City,

Kolkata – 700 091

West Bengal, India.

N. S. VISHWANATHAN, Executive Director

[ADVT-III/4/Exty./15 (214)]

4066 GI/2015